(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

आर0एन0 प्रकरण कमांक 102/95 विरूद्ध आंदेश दिनांक 29.10.94 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 68/निगरानी/बी–121/90–91.

देवसिंह तनय रामप्रसाद यादव
निवासी ग्राम शाहगढ़
तहसील बण्ड़ा जिला सागर म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन --- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री आर0के0 जैन
अना0 शासन अधि0 श्री राजेश त्रिवेदी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-1-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 68/निगरानी/बी–121/90–91 में पारित आदेश दिनांक 29.10.95 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार एवं नगर पालिका परिषद द्वारा कृषि कार्य के लिये निर्माण कराने हेतु ईट बनाने की अनुमति ली जाकर खसरा न0 279/9ख में ईट बनाने का

कार्य किया जा रहा था, किन्हीं द्वारिका यादव की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के आदेशानुसार नायव तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ईंट जप्त कर ली गई, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जो प्र0क0 534/बी–121/86–87 पर दर्ज होकर सुनवाई कर दिनांक 30.1.89 को आदेश पारित कर आवेदक का धारा–52 का आवेदन निरस्त किया तथा जप्तशुदा ईंट तथा लकड़ी की नीलामी करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला सागर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 41/बी–121/88–89 पर दर्ज होकर दिनांक 15.11.90 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी बण्डा का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त की । आवेदक इस आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहां निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 68/बी–121/90–91 पर दर्ज कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अलग अलग जांच करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है और जप्त की गई ईंट एवं लकड़ी की नीलामी आवश्यक बताते हुये निगरानी में दिनांक 29.10.94 द्वारा आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है। आवेदक इससे दुखी होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है ।

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में लेख किया गया है मुख्य रूप से उनका तर्क यह है कि कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को आरोपित आरोपों की जांच बिन्दुओं के लिये भेजा था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा न करते हुये प्रकरण गुण–दोषों के आधार पर ही

निराकरण कर दिया गया है उनके द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया हे कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में धारा-52 का आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किये थे लेकिन उनके द्वारा प्रकरण गुण-दोष पर ही निराकरण कर दिया है जबकि पहले उनके द्वारा धारा-52 के आवेदन पर अपना निर्णय लेना था, ऐसा न करते हुये किसी रामप्रसाद यादव की शिकायत पर ईट एवं लकड़ी जप्त कर नीलामी करना विधि विधान से परे है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5- शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यही तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी बण्डा एवं कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश विधि संगत है अनुविभागीय अधिकारी बण्डा तथा कलेक्टर सागर का आदेश एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश समवर्ती आदेश होने से तीनों न्यायालयों द्वारा सही आदेश पारित किया गया है । अतः आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

6- मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा वारीकी से अभिलेखों का अध्ययन किया गया तथा प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि निगरानीकर्ता की लकड़ी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जप्तशुदा लकड़ी की नीलामी करने का आदेश दिया गया है तथा जप्तशुदा ईटों की नीलामी के लिये कलेक्टर से अनुमति दिये जाने का उल्लेख किया गया है । कलेक्टर द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 13.5.88 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा पृथक-पृथक जांच करने का आदेश दिया गया है जांच के दौरान जप्त की लकड़ी एवं ईटों की नीलामी किया जाना आवश्यक है ।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा का आदेश दिनांक 29.8.87 तथा अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 15.11.90 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 68/निगरानी /बी-121/90-91 में पारित आदेश दिनांक 29.10.94 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तथा तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने स्थिर रखे जाते है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर